प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों के लिये एक विहंगावलोकन एवं दो अध्यायों में संरचित है। अध्याय–1, लेखापरीक्षित इकाईयों के संबंध में सामान्य जानकारी, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रिया तथा कपटपूर्ण आहरणों एवं लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली के प्रकरणों का वर्णन करता है। अध्याय–2 में एक अनुपालन लेखापरीक्षा 'अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा' तथा दो लेखापरीक्षा कंडिकायें शामिल है। महत्वपूर्ण कमियाँ नीचे उल्लेखानुसार थीं:

अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन पर ₹ 2,686.12 करोड़ का व्यय किया। हालांकि, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में बुनियादी ढांचे में कमी थी जैसे कि कर्मचारियों के साथ रहवासियों के लिए अपर्याप्त आवास, चारपाई, भोजन के लिए जगह, शौचालय, अपूर्ण निर्माण कार्य इत्यादि। जनजातीय कार्य विभाग ने 247 प्री–मैट्रिक छात्रावासों में आवासीय क्षमता में वास्तविक वृद्धि किये बिना सीट वृद्धि की। आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। कलेक्टर रहवासियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

आयुक्त, आदिवासी विकास ने 2012–13 से 2016–17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 113.84 करोड़ के अवास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे। प्रावधान का उल्लंघन कर क्रय किये जाने के अलावा, लेखापरीक्षा ने ₹ 6.03 करोड़ के न पता लगाये जा सके अग्रिम भी देखे जो आठ से 15 वर्ष पूर्व कलेक्टरों को जारी किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2016–17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2016–17 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।